अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

174/2017/223 रूपनारायण बनाम सत्यनारायण वगै.

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	2017/00174 श्री एल.एच. पारीक श्री पी.एम. शर्मा	

24/12/21

रूपनारायण बनाम सत्यनारायण वगैरह

पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. एव आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को दिनांक 23.12.2021 प्रार्थना पत्रों पर सुना गया।

सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. पर आदेश देना उचित समझते है। अभिभाषक प्रार्थीगण/अपीलांटस ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि प्रार्थीगण विवादित आराजी पर काबिज काश्त है। जिसकी पुष्टि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 01 द्वारा पूर्व प्रस्तुत वाद में अप्रार्थी संख्या 01 की स्वंय स्वीकृति से भी होती है इस प्रकार विवादित आराजी प्रार्थीगण का हक व अधिकार निहित है एवं प्रार्थीगण हितबद्ध पक्षकार है जिससे प्रार्थीगण को आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.12.1996 को चुनौती देने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थीगण विवादित आराजी पर काबिज काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री से उनके समक्ष विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है तथा प्रार्थीगण उक्त निर्णय व डिक्री से पूर्णतया व्यथित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की इजाजत दिया जाना आवश्यक है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुए प्रार्थीगण व्यथित पक्षकार होने से उक्त अपील प्रस्तुत करने की इजाजत दिए जाने के आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दौराने जवाब प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि प्रार्थीगण/अपीलांटस का यह कथन कि विवादित आराजी पर काबिज काश्त है जो गलत हैं। प्रार्थीगण ने अन्य आराजी के साथ अपीलाधीन आराजी को भी पूर्व वाद में सम्मिलित कर लिया। वादीगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही होने पर पूर्व वाद दिनांक 12.06.1991 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो गया इसके पश्चात अपीलाधीन आराजी बाबत् रेस्पोडेन्ट संख्या 01 सत्यनारायण ने रेस्पोडेन्ट संख्या 02 जिसके नाम खातेदारी दर्ज थी के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया जिसे सहायक कलक्टर, दूदू ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 18.12.1996 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के विरूद्ध वाद डिक्री किया इसलिए उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 18.12.1996 के विरूद्ध केवल व्यथित पक्षकार नहीं हो सकता। निर्णय व डिक्री दिनांक 18.12.1996 को चुनौती देने का अधिकार केवल उसी को है अगर अपीलांटस/प्रार्थीगण अपना कोई क्लेम मानते है तो वह सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने को स्वंतत्र है जो उन्होंने उपखण्ड अधिकारी, दूदू के न्यायालय में खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा वाद प्रस्तुत कर रखा है जो वाद संख्या 62/2017 बउनवानी रूपनारायण बनाम सत्यनारायण विचाराधीन है जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 उसमें प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को पक्षकार बना रखा है इसलिए भी उक्त अपील चलने योग्य नही है और न ही सहायक कलक्टर, दूदू के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.12.1996 को चुनौति देने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण/अपीलांट को विवादित आराजी से कोई लेना देना हित सरोकार ही नही है तो विकट स्थिति उत्पन्न होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। सहायक कलक्टर, दूदू के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.12.1996 प्रार्थीगण/अपीलांटस व्यथित पक्षकार नहीं होने से अपील की अनुमति दिये जाने का प्रश्न ही उठता हैं इसलिए माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि

लगातार

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री ... श्री ...	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए

प्रार्थना पत्र धारा 96 जा.दी. खारिज फरमातें हुए अपील को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र को अवलोकन किया गया। अवलोकन प्रार्थीगण/अपीलांटस अपील में व्यथित पक्षकार होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. स्वीकार किया जाकर अपीलांट का अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।

तत्पश्चात प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित समझते है। अभिभाषक प्रार्थीगण/अपीलांटस ने दौराने प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री की जानकारी प्रार्थीगण को पूर्व में नहीं थी। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 05.07.2017 को मौके पर जाकर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखल मजाहमत उत्पन्न की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलकटर, दूदू के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.12.1996 बाबत् कथन किए जिस पर प्रार्थीगण ने दिनांक 06.07.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में जाकर सम्पर्क किया एवं प्रकरण सम्बन्धि जानकारी ली तब प्रार्थीगण को निर्णय व डिक्री दिनांक 18.12.1996 को पारित होने की जानकारी हुई। इस पर प्रार्थीगण ने प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया तथा प्रार्थीगण प्रतियॉ प्राप्त कर तथा प्रकरण सम्बन्धि आवश्यक दस्तावेज एकत्रित कर प्रार्थीगण दिनाक 25.07.2017 को अजमेर आए तथा अभिभाषक से सम्पर्क किया जिनके द्वारा उक्त अपील बिना किसी देरी के माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुती में जानबूझकर कोई देरी नहीं की गई। प्रार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुती में हुई देरी जानकारी के अभाव में हुई सद्भाविक देरी हैं जिसे क्षमा किया जाना न्यायोचित व न्याय संगत है। प्रार्थीगण को प्रकरण गुणावगुण पर बनता है चूँकि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा पूर्व प्रस्तुत वाद एवं स्वंय स्वीकृति के तथ्यों को छुपाते हुए अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह कर एक तरफा में आक्षेपित निर्णय व डिक्री प्राप्त की है जिससे प्रार्थीगण के हक व अधिकारों का हनन हो रहा है। यह न्याय का सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब प्रकरण गुणावगुण पर निर्णित किए जाने योग्य बनता हो तो मियाद को कन्डोन किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में भी अपील प्रस्तुती में हुई देरी को क्षमा किया जाना न्यायोचित व न्याय संगत है। न्याय का सुस्थापित सिद्धान्त हैं कि मियाद के बिन्दु पर नरम रूप अपनाया जाना चाहिए। अतः प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई उक्त सद्भाविक देरी को न्यायहित में क्षमा कर अपील को अन्दर मियाद शुमार कर गुणावगुण पर निर्णित किए जाने बाबत् आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

अभिभाषक अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दौराने जवाब बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.12.1996 की जानकारी प्रार्थीगण को थी। जिस बाबत् अपीलांट ने एक वाद 304/2018 लिखावट दिनांक 06.05.2008 की पालना हेतु न्यायालय वरिष्ट सिविल न्यायाधीश, दूदू में प्रस्तुत कर समझौता दिनांक 06.05.2008 के आधार पर पारिवारिक समझौता की पालना व स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया है तथाकथित पारिवारिक समझौता की शर्तो के अनुरूप पैरा संख्या 04 में अपीलांट ने दिनांक 06.05.2008 को आराजी खसरा नम्बर 1013/2/1102 रकबा 11 बीघा 3 बिस्वा सत्यनारायण के अलाटशुदा स्वीकार किया है

35

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

174/2017/2223 रूपनारायण वगैरह बनाम सत्यनारायण वगैरह

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	2017/00174 श्री एन.एम. चारीश श्री बी.एल. शर्मा - 1 6 बी-3	
लगातार	जिससे प्रमाणित है कि अपीलांट को दिनांक 06.05.2008 को सत्यनारायण के हक में खातेदारी होने का इल्म व जानकारी रही है जिससे अपील मियाद बाहर है और निरस्त किये जाने योग्य है तत्पश्चात आपसी सहमति द्वारा विवादित आराजी का तकासमा दिनांक 13.01.2017 को किया गया जिसमें बतौर साक्ष्य अपीलांट संख्या 03 रामावतार के हस्ताक्षर है जिससे भी प्रमाणित है कि अपीलांट को पूर्व में जानकारी रही है अपील भारी मियाद बाहर है। उक्त डिक्री के आधार पर नामान्तकरण संख्या 726 दिनांक 03.07.1997 को ही पारित होकर प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है इसके पश्चात प्रार्थीगण द्वारा उक्त अपील दिनांक 25.07.2017 को प्रस्तुत की है जो लगभग 20 वर्ष 06 माह के पश्चात पेश की जो भारी मियाद बाहर है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि जवाबनुसार अपील भारी मियाद बाहर होने से खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र एवं अपील व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अपीलांटस ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.12.1996 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष अपील दिनांक 25.07.2017 को लगभग 20 वर्ष 06 माह के भारी विलंब से पेश की है। विलम्ब के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में समुचित एवं ठोस कारण अंकित नहीं किये है। ऐसी स्थिति में इतने भारी विलंब को क्षम्य नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विलम्ब के ठोस एवं समुचित कारण अंकित नहीं किये जाने से प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है। अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज होने से अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दू पर खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18.12.1996 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) 24/12/2021 राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	